

क्रमांक/सा.सहा./2017/1812

भोपाल, दिनांक 8/09/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश।

विषय :- ट्रेजरी से असफल भुगतान होने के उपरांत प्राप्त बैंकर्स चैक की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रतानुसार वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्तजनों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जाती हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त पेंशन योजनाओं का ऑनलाईन क्रियान्वयन एन.आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा विकसित समग्र पेंशन पोर्टल <http://pensions.samagra.gov.in> के माध्यम से किया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 से बजट को ग्लोबलाईज कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही जिला आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा की जाती थी। दिसम्बर 2014 से डी.डी.ओ. के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रदान किये गये।

3. वर्तमान व्यवस्था में राज्य स्तर पर एक नोडल खाता खोलकर ई-पेमेंट आर्डर की व्यवस्था के माध्यम से जुलाई माह से पेंशन भुगतान की कार्यवाही राज्य स्तर से सीधे हितग्राही के बचत खाते में की जा रही है। जिसमें कुछ हितग्राहियों का भुगतान असफल हुआ है, इससे स्पष्ट है कि ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से भी पूर्व में हितग्राहियों को असफल भुगतान हुआ है, ट्रेजरी सिस्टम से असफल भुगतान होने पर कोषालय द्वारा संबंधित डी.डी.ओ. को बैंकर्स चैक उपलब्ध कराये जाते हैं, उक्त प्राप्त बैंकर्स चैक के आधार पर हितग्राहियों की प्रोफाइल को अपडेट कर पुनः पेंशन भुगतान किया जाता है अथवा चालान बनाकर राशि ट्रेजरी में जमा करना होता है। जो कि अधिकांश जिलों के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा नहीं किया जाकर अधिकांश बैंकर्स चैक निकाय स्तर पर हितग्राहियों को भुगतान न करते हुये काफी संख्या में बैंकर्स चैक व राशि संबंधित डी.डी.ओ. के खाते में रखी गई है, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध बैंकर्स चैक व खातों में जमा राशि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट - 'अ' में तैयार कर एक सप्ताह में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के हस्ताक्षर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त राशि के उपयोग के संबंध में पृथक से अवगत कराया जायेगा। उक्त जानकारी को गूगल शीट जिसे ई-मेल के माध्यम से भेजा गया है, पर भी उपलब्ध कराया जाये, जिससे कि जानकारी को संकलित किया जा सके।



(अशोक शाह)

आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/सा.सहा./2017/1813

भोपाल, दिनांक 8/09/2017

प्रतिलिपी :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश